

उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांक: 737-ई/पालिसी/2018

RBE No-40/2018

दिनांक: .08.2018

NCRPS No. 5256/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि

मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झाँसी।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झाँसी।

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।

वेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।

उप मुख्या सामग्री प्रबन्धक/झाँसी, उप मु.अभि./सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.

प्रशिक्षण - सुपरवाइजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रेक मशीन

ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर,

सी एण्ड डब्लू/झाँसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कशॉप, झाँसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर,

परमानेंट पे ट्रेनिंग सेन्टर, झाँसी, ट्रान्सपोर्टेशन, ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगंज, इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग

सेन्टर/टीआरडी/झाँसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, मु.प्रा.अधि/आईआरपीएमयू/नई दिल्ली

उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झाँसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झाँसी।

वसावत/केश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: Clarification regarding issuance of Passes on longer route to destination, if this longer route happens to be quicker than the direct route.

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(W)2018/PS5-2/11 दिनांक 26.03.2018 की प्रतिलिपि आपके सूदनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलम क. यथोक्ता।

V.P.Singh
(V.P.Singh)

For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1 कार्यालय अधीक्षक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
- 2 मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
- 3 मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
- 4 मुख्य कार्यालय अधीक्षक - एससी-एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
- 5 महामंत्री, एन सी आर ई एस
- 6 महामंत्री, एन सी आर एम-यू
- 7 महामंत्री, एन सी आर पी आर

25/3/18

PCPD
30
28/3/18

R
11/5/18

MCR

R B 6-2018-567
28-3-18

R.B.E. No. 40/2018

23

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. E(W)2018/PS5-2/11

New Delhi, dated 26.03.2018

The General Managers (P)
All Indian Railways &
Production Units.

Sub: Clarification regarding issuance of Passes on longer route to destination, if this longer route happens to be quicker than the direct route.

NFIR has brought to the notice of Board that Zonal Railways are not issuing passes in accordance with Rule 3(vii)(c) stipulated under General Rules in Schedule-II (Pass on Privilege Account) of Railway Servants (Pass) Rules, 1986 (Second Edition-1993) taking the plea that the same is not covered under Rule 3(vii)(b). In this respect, it is clarified that the Rule 3(vii)(c) categorically provides for issue of passes 'if the longer route to destination is quicker than the direct route irrespective of distance involved.' The said rule is an independent provision which is explicit by the use of the word "or" between the aforesaid sub-paras 3(vii)(a), 3(vii)(b) & 3(viii)(c). Accordingly, it is clarified that passes over quicker longer route are admissible without any distance restriction, that is irrespective of distance involved.

2. The Railways are, therefore, advised to follow the extant statutory rules scrupulously and issue passes accordingly.

V. Muralidharan

(V. Muralidharan)

Dy. Director Estt.(Welfare)-I
Railway Board

03/4/18
PCPD

प्र० मुकाधितः	✓
मुकाधितः (प्रशा०)	✓
मुकाधितः (आई० आर०)	
उप मुकाधितः (राज०)	
उप मुकाधितः (मुख्या०)	✓
उप मुकाधितः (आई० आर०)	✓
अध्यक्ष/रि०भ०प्र०	
प्र० का० अधि० (राज०)	
प्र० का० अधि० (आई० आर०)	✓
प्र०का० अधि० (मुख्या०)	✓
सकाधितः (आई० आर०)	
सकाधितः (भर्ती०)	
मु० कार्या० अधि०/कार्या० अधि०	

03/04/18

03/4/18

03/4/18